राजस्थान विश्वविद्यालय
University of Rajasthan

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004
दूरभाष 0141-2256602 Email: gaduorjaipur@gmail.com

क्रमांक सा.प्र./2021/7671–7771 दिनांक: 01.09.2021

1. समस्त विभागाध्यक्ष/इकाई प्रभारी, शैक्षणिक विभाग, रा.वि.वि.,जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स/केन्द्र/केन्द्रीय पुस्तकालय/पोद्दार प्रबन्ध संस्थान, रा.वि.वि.,जयपुर।
4. मुख्य आवासाधिकारी, छात्र/छात्रा/समस्त आवासाधिकारी, रा.वि.वि.,जयपुर।

अधिसूचना

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता मे दिनांक 01.09.2021 को समस्त मुख्य आवासाधिकारी (छात्र/छात्रा), प्रो.एस.एल.शर्मा(सिंडीकेट सदस्य), कुलसचिव एवं उप कुलसचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें मंत्रीमंडल सचिवालय के आदेश दिनांक 24.07.2021 द्वारा विद्यालय/विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों को दिनांक 01.09.2021 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

उपरोक्त की निरन्तरता मे राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्र दिनांक 07.01.2021 के तहत कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित किये गये प्रोटोकॉल एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशो की पालना सुनिश्चित करते हुए **राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रावासों को खोलने के हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:–**

1. एक कमरे में एक विद्यार्थी के ही रुकने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
2. जिन बडे कक्षों में एक से अधिक विद्यार्थियों के रुकने की व्यवस्था है, उनमे अस्थाई पार्टीशन की व्यवस्था कर सिंगल रुप में परिवर्तित किया जावे।
3. विद्यार्थियो के हॉस्टल में रहने के दौरान पर्याप्त सामाजिक दूरी संधारित की जावे।
4. हॉस्टल में उन्हीं बच्चों को प्राथमिकता से लिया जावे जिनके स्थानीय निवास न हो एवं ऑनलाईन शिक्षण न हो ।
5. प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिदिन स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जावे।
6. बाहर से आने वाले छात्रों को हॉस्टल पहुंचने पर प्रारम्भिक दिनों मे अन्य छात्रों से पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जावे।
7. छात्रों के मानसिक एवं भावनात्मक मनोबल को सुदृढ करने हेतु संस्थान द्वारा कांउसलर की व्यवस्था की जावे।
8. विश्वविद्यालय स्टाफ के अतिरिक्त अनावश्यक लोगों के आगमन पर रोक लगाई जावे।
9. किसी भी छात्र या स्टाफ के सदस्य मे कोरोना वायरस के लक्षण प्रकट होने पर उसे तुरन्त आइसोलेट किया जाकर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जावे। इस हेतु पृथक हॉल/तल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावे।

मैस व्यवस्था :–

1. यह सुनिश्चित किया जावे की प्रत्येक छात्रावास में मैस व्यवस्था अनिवार्य हो ताकि विद्यार्थियों को बाहर से भोजन नही मंगवाना पडे।
2. मैस (भोजन कक्ष) में एकत्रित होकर भोजन करने के स्थान पर अपने कक्ष में ही भोजन करने हेतु प्रोत्साहित किया जावे।
3. यह सुनिश्चित किया जावे की प्रतिदिन रसोईया (खाना बनाने का स्थान, बर्तन धोने का (स्थान) अच्छी तरह से साफ किया जावे एवं सेनेटाईज किया जावे। यह सुनिश्चित किया जावे कि गंदा पानी एक जगह एकत्रित न हो।
4. मैस (भोजन कक्ष) में विद्यार्थियों के बैठने के स्थान को प्रतिदिन धुलाया जावे एवं फर्नीचर को सेनेटाईज किया जावे।
5. खाना परोसने वाला स्टाफ अनिवार्य रुप से हाथ दस्तानें/मास्क का प्रयोग करें।
6. विद्यार्थियों की मैस मे एंट्री के समय अनिवार्य रुप से हाथ धोना/सेनेटाईज करना सुनिश्चित किया जावे।
7. सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
8. कोरोना महामारी को देखते हुए भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की अनिवार्यता सुनिश्चित की जावे।
9. मैस में पीने के पानी के स्थान की स्वच्छता सुनिश्चित की जावे।

कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिये यह अनिवार्य है कि समस्त/विद्यार्थी/स्टाफ उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करें। इन शर्तो का उल्लंघन नियमानुसार दडनीय है। अतः सभी को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

01/09/2021

(के.एम. दूडिया)
कुलसचिव